(7)

अपील क्रमांक 228/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /06/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 228/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री प्रमोद कुमार नामदेव, ए–504, विमला बिहार, भाटागांव, रायपुर (छ.ग.) पिन को. 492013 मो. 9827404978	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.06.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार नामदेव द्वारा दिनांक 08.05.2025 को प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवायी, आज दिनांक 03.06.2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **"जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जनवरी 2024 के पश्चात् अब तक खोली गई निविदाओं की महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) एवं वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश"** उपलब्ध कराने हेतु दिनांक निरंक को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अधूरी जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 08.05.2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने एवं अगली सुनवाई तिथि निर्धारित करने हेतु निवेदन किये जाने के फलस्वरूप सुनवाई स्थगित करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 03.06.2025 निर्धारित कर, इसमें उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 03.06.2025 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनके द्वारा आवेदन में निविदाओं के महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) एवं वास्तव में निविदा खोलने एवं

......2

स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश की प्रति मांगी गयी थी, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा मात्र निविदाओं के महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) संबंधी जानकारी 4 माह से ज्यादा समय बाद निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी, किन्तु निविदाओं के वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अधूरी जानकारी दिये जाने से प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक निरंक को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को जनसूचना प्रकोष्ठ को आवक क्रं. 558 दिनांक 21.11.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती निविदा कक्ष की ओर दिनांक 21.11.2024 को प्रस्तुत की गई। वांछित जानकारी प्राप्त ना होने पर उनके द्वारा निविदा प्रकोष्ठ को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/369/छ.ग./2024/369, दिनांक 08.01.2025 द्वारा पुनः स्मरण कराते हुये पत्र की प्रतिलिपि आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से दी गयी। निविदा कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में विलंब से दिनांक 17.03.2025 को 277 पृष्ठों में प्राप्त जानकारी, अपीलार्थी को सत्यापित कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/247/छ.ग./2025/3022, दिनांक 03.04.2025 द्वारा निःशुल्क प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्नों का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है कि 1. क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है? 2. क्या अपीलार्थी को उनके द्वारा वांछित शेष जानकारी लोक प्राधिकारी द्वारा धारित दस्तावेज हैं?

6. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में **"जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जनवरी 2024 के पश्चात् अब तक खोली गई निविदाओं की महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) एवं वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश"** की प्रति मांगी गयी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.11.2024 को प्रस्तुत आवेदन का निराकरण 4 माह 13 दिनों में अर्थात अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की समय–सीमा व्यतीत होने के पश्चात् किये जाने के कारण 277 पृष्ठों की निःशुल्क जानकारी उपलब्ध करायी है। उक्त जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि जानकारी जनवरी 2024 के पश्चात् अब तक खोली गई निविदाओं की महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) से संबंधित है। अपीलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी "वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश" की प्रति से संबंधित ना तो जानकारी प्रदान की गयी और ना ही तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 03.04.2025 में कुछ लेख किया गया। जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनयम के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण करते समय विवेक का उपयोग किया जाना चाहिये एवं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये के आवेदन में उल्लेखित प्रत्येक बिन्दु की जानकारी या तो उपलब्ध करायी जा रही हो या अनुलब्धता, पारदर्शी प्रणाली के तहत पूर्व से ही Public Domain पर उपलब्ध हो या अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित अथवा अधिनियम के प्रावधानों के छूट प्राप्त, जैसी भी स्थिति हो आवेदनकर्ता को अवगत कराना चाहिये। भविष्य के लिये जनसूचना अधिकारी को सजग होकर आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण किये जाने की सलाह दी जाती है।

......3

7. अपीलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी **"वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश"** के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा निविदा प्रकोष्ठ से जानकारी प्राप्त नहीं होने का कथन किये जाने पर, निविदा प्रकोष्ठ से विभाग में निविदाओं के संबंध में प्रभावशील e-procurement policy के संबंध में कार्य कर रहे श्री चन्द्रशेखर वर्मा सहायक अभियंता को कक्ष में बुलाकर पूछताछ करने पर, उन्होंने अवगत कराया कि अपीलार्थी को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी 277 पृष्ठों की जानकारी में निविदा खोलने की तारीख अंकित रहती है। पूर्व अहर्ता निर्धारण में प्रक्रियात्मक समय लगने के कारण निविदा सिस्टम क्रमांक के क्रम से वास्तव में निविदा खोलने की तारीख Key dates में अंकित तारीख से भिन्न हो जाती है, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण तत्संबंध में पृथक से कोई दस्तावेज कार्यालय में संधारित नहीं किया जाता है। यदि आवेदक को वास्तव में निविदा खोलने की तारीख की जानकारी की आवश्यकता हो तो आवेदक निविदा से संबंधित वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in (Public Domain) पर प्रत्येक निविदा को पृथक–पृथक आवलोकन कर स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। तत्संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

Eprocurement chhattisgarh

⇩

http://eproc.cgstate.gov.in

⇩

Advance Search & Submit the Captcha and Proceed

⇩

Select the **Department** and also choose **status**

(1. open for bid submission 2. 3. Closed bids opened not evaluated 4. Closed bids not opened not evaluated 5. Cancelled tender)

⇩

Many options are available in advanced search such as by PAC Value, vendor class,Tender No/ Auction No, Bid open date from and to and Bid due date from and to.

⇩

Note :- Tender Rate Opened and Evaluated can be seen only by selecting **Closed bids opened evaluated** and then select the particular **system tender no.** after that in bottom of the web page click on where CS attachment is available **Part2CS L1** (Tender Bid Evaluation sheet is generated)

8. इसी प्रकार आवेदक द्वारा वांछित निविदा स्वीकृत करने के आदेश की तारीख से संबंधित आदेश संबंधी जानकारी, निविदा दस्तावेज के नियम 2.41 में अंकित निविदा स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी के कार्यालय में ही पृथक–पृथक निविदावार संधारित नस्तियों में उपलब्ध रहती हैं, जिसे आवेदक वेबसाइट में उपलब्ध निविदा सिस्टम क्रमांक, कार्य का नाम, जल संसाधन विभाग के संभाग के नाम का उल्लेख कर कार्य की निविदा राशि अनुसार सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पृथक–पृथक आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। अपीलार्थी की सुविधा हेतु निविदा दस्तावेज के नियम 2.41 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

2.41. Validity of Offer - The period of validity offer of tenders will be as follows **(w.e.f. Price Bid Opening)**:-

(i)	Tenders within the competence of sanction of Executive Engineer i.e., up to Rs. 80.00 Lakhs	-	2 months
(ii)	Tenders within the competence of sanction of Superintending Engineer i.e., up to Rs. 200.00 Lakhs	-	3 months
(iii)	Tenders within the competence of sanction of Chief Engineer i.e., upto Rs. 500.00 Lakhs	-	4 months
(iv)	Tenders within the competence of sanction of Engineer-in-Chief i.e., upto Rs. 1000.00 Lakhs	-	6 months
(v)	Tenders within the competence of sanction of Government i.e. above Rs. 1000.00 Lakhs	-	6 months

9. अधिनियम में निहित प्रवाधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी मार्गदर्शिका का अवलोकन किया गया। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 2719/जी–1312/2009/1–13 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण के पैरा 10 (अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार) का उद्धरण निम्नानुसार है:–

> **"किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डो के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना भी अपेक्षित नहीं है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना और/अथवा अनुमान लगाना; अथवा सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।"**

10. प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के बिन्दु क्रमांक एक हेतु जनसूचना अधिकारी द्वारा लोकप्राधिकारी के कार्यालय में संधारित नस्ती में उपलब्ध 277 पृष्ठ, अपीलार्थी को पूर्व में ही निःशुल्क उपलब्ध कराये जा चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के उक्त पैरा 10 अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। अपीलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी में से एक – निविदा से संबंधित वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in (Public Domain) पर उपलब्ध है तथा शेष बिन्दु की जानकारी पृथक–पृथक लोक प्राधिकारी के कार्यालय में निविदावार पृथक–पृथक नस्तियों में संधारित होने वाली जानकारी है। जनसूचना अधिकारी को तत्संबंध में आवेदन का निराकरण करते समय ही अवगत कराना चाहियें था।

11. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

1. **अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जनवरी 2024 के पश्चात् अब तक खोली गई निविदाओं की महत्वपूर्ण तारीख (Key dates) एवं वास्तव में निविदा खोलने एवं स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश" की प्रति के संबंध में, जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को लोक प्राधिकारी के निविदा कक्ष में उपलब्ध 277 पृष्ठों की जानकारी, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/247/छ.ग./2025/3022, दिनांक 03.04.2025 द्वारा निःशुल्क प्रदान की गयी है। शेष जानकारी "वास्तव में निविदा खोलने संबंधित आदेश" की प्रति के संबंध में अपीलार्थी निविदा से संबंधित वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in (Public Domain) पर इस आदेश के पैरा 7 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। अपलार्थी के आवेदन में शेष जानकारी "निविदा स्वीकृत करने की तारीख से संबंधित आदेश" की प्रति हेतु आदेश के पैरा 8 में उल्लेखित निविदा राशि अनुसार निविदावार पृथक–पृथक नस्तियों में संधारित होने वाली जानकारी होने के कारण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।**

2. **जनसूचना अधिकारी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में सजग होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन का समय–सीमा में निराकरण करते समय विवेक का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये के आवेदन में उल्लेखित प्रत्येक बिन्दु की जानकारी या तो उपलब्ध करायी जा रही हो या अनुलब्धता, पारदर्शी प्रणाली के तहत पूर्व से ही Public Domain पर उपलब्ध हो या अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित अथवा अधिनियम के प्रावधानों के छूट प्राप्त, जैसी भी स्थिति हो आवेदनकर्ता को अवगत कराना चाहिये।**

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

......6

पृ.क्रं./228/बो.प्र./नि.स./2025/ 5054 नवा रायपुर, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपिः-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, षिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेष को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री प्रमोद कुमार नामदेव, ए–504, विमला बिहार, भाटागांव, रायपुर (छ.ग.) 492013 मोबाइल नंबर 9827404978 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)